

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 364

6 Baishakh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 25th April, 2019

File No- Va0 Kar/GST/16/2017-

THE CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Order No. 4/2019-State Tax

S.O. No. 43 Dated 26th April, 2019 -- Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the "said Act") provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies; And whereas sub-section (3) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Jharkhand Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

- 1. Short title. -- This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.
- 2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.
- 3. This Order shall be deemed to be effective from 1st April, 2019.

Prashant Kumar, Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 25 अप्रैल, 2019

संचिका संख्या-वा॰कर/GST/16/2017-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का निराकरण) आदेश, 2019 आदेश सं. 04/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 43 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- (अ). - जबिक, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतिश्मिनपश्चात् इस आदेश में "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है; और

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वहीं होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. लघु शीर्षक यह आदेश झारखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा ।
- 2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रकचर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।
- 2. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त ।
